

न्यायालय:- द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, गोहद, जिला भिण्ड
 (समक्ष: पी0सी0आर्य)

दांडिक अपील क्रमांक: 317/2013

संस्थित दिनांक-10/10/2013

1. रामगोपाल पुत्र रामजीलाल शर्मा,
62 साल
2. महादेव पुत्र गोपाल शर्मा 39 साल,
निवासीगण ग्राम बिरखडी थाना गोहद
चौराहा परगना गोहद जिला भिण्ड

.....अपीलार्थीगण/आरोपीगण

वि रु द्ध

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा-

आरक्षी केन्द्र गोहद चौराहा ,

जिला-भिण्ड (म0प्र0).....प्रत्यर्थी/अभियोगी

राज्य द्वारा श्री भगवान सिंह बघेल अपर लोक अभियोजक
 अपीलार्थीगण/आरोपीगण द्वारा श्री प्रवीण गुप्ता अधिवक्ता

न्यायालय-श्री केशव सिंह, जे.एम.एफ.सी., गोहद, द्वारा दांडिक
 प्रकरण क्रमांक-627/2005 में निर्णय व दण्डाज्ञा दिनांक
 27/9/2013 से उत्पन्न दांडिक अपील ।

एवं

दाण्डिक पुनरीक्षण क्रमांक: 273/13

संस्थापन दिनांक-22/10/13

विष्णु स्वरूप शर्मा पुत्र श्री श्रीधर,
 उम्र-45 साल निवासी ग्राम बिरखडी,
 थाना गोहद चौराहा जिला भिण्ड

-----पुनरीक्षणकर्ता/आवेदक

वि रु द्ध

- 1- रामगोपाल पुत्र रामजीलाल उम्र 54 साल,
- 2- महादेव पुत्र गोपाल शर्मा उम्र 31 साल,
- 3- रामेश्वरदयाल पुत्र जगन्नाथ प्रसाद 71 साल
- 4- सुरेशचन्द्र पुत्र रामजीलाल शर्मा 58 साल,
 निवासीगण ग्राम बिरखडी थाना गोहद चौराहा,
 जिला भिण्ड.....प्रतिपुनरीक्षणकर्तागण/अनावेदक/आरोपीगण

--:- निर्णय --:-

(आज दिनांक 29, अक्टूबर 2014 को खुले न्यायालय में घोषित)

1. दाण्डिक अपीलक्रमांक-317/2013में अपीलार्थीगण/आरोपीगण
 की ओर से उक्त दाण्डिक अपील धारा-374 द0प्र0सं0 1973 के
 अंतर्गत न्यायालय जे0एम0एफ0सी0 गोहद श्री केशव सिंह द्वारा

दाण्डिक प्रकरण क्रमांक 627/2005 निर्णय दिनांक-27/9/2013 के निर्णय एवं दण्डाज्ञा से विक्षुप्त होकर प्रस्तुत की है, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी/आरोपीगण को धारा-323, 325 सहपठित धारा-34 भा.द.वि. के अपराध में दोषी पाते हुए क्रमशः छः-छः माह एवं दो-दो वर्ष के सश्रम कारावास एवं क्रमशः दो-दो सौ एवं तीन-तीन सौ रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया था।

2. प्रकरण में यह निर्विवादित तथ्य है कि प्रकरण के फरियादी एवं अपीलार्थी/आरोपीगण एक ही स्थान के निवासी हैं एवं उनके मध्य पूर्व में भी मुकदमेबाजी चली है।
3. अभियोजन के अनुसार घटना इस प्रकार बतायी गयी है कि दिनांक-23/8/05 के 4:20 बजे पुलिस थाना गोहद चौराहा पर फरियादी विष्णु शर्मा ने मय अपने भाई नरेश के साथ आकर जुवानी रिपोर्ट की कि वह दोनों भाई तारीख के लिए मुरैना जा रहे थे, तब आरोपीगण लाठियां लेकर आये, जब उसने कहा कि ऐसा क्या हो गया तब महादेव ने उसे दासहिने हाथ की कलाई में लाठी मारी, तथा गोपाल ने बांये पैर की पिडली में लाठी मारी। जब उसका भाई नेश बचाने आया तो गोपाल ने उसके सिर में लाठी मारी जो बांये कान के ऊपर लगी, चोट होकर खून निकल आया। सभी आरोपीगण ने एक राय होकर जान से मारने की नीयत से मारपीट की, धर्मेन्द्र व प्रेमनारायण शर्मा ने आकर घटना देखी व बीच बचाव कराया। उक्त आशय की अदम चैक 99/06 पर दर्ज की एवं जांच उपरांत थाना गोहद चौराहा के मूल अपराध क्रमांक-160/06 पर पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोगपत्र विचारण हेतु सक्षम जे.एम.एफ.सी. न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
4. विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अभियोगपत्र एवं उसके साथ संलग्न प्रपत्रों के आधार पर आरोपीगण को धारा-504, 323, 325 सहपठित धारा-34 भा.द.वि. के तहत आरोप लगाये जाने पर आरोपी/अपीलार्थीगण को पढकर सुनाये व समझाये जाने पर आरोप से इंकार किया, उसका विचारण किया गया, विचारणोपरांत आरोपी/अपीलार्थीगण को धारा-323, 325 सहपठित धारा-34 भा.द.वि. के अपराध में दोषी पाते हुए क्रमशः छः-छः माह एवं दो-दो वर्ष के सश्रम कारावास एवं क्रमशः दो-दो सौ एवं तीन-तीन सौ रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया था। जिससे व्यथित होकर यह दाण्डिक अपील प्रस्तुत की गयी है।
5. अपीलार्थी/आरोपीगण की ओर से प्रस्तुत किए गये अपीलीय ज्ञापन में मूलतः यह आधार लिया है कि घटनास्थल विष्णु की निशादेही पर बनाया गया किन्तु उक्त नक्शा मौका प्रधान आरक्षक रामनिवास सिंह के द्वारा घटना के करीब 40 दिन बाद बनाया गया था, जिससे वह दोषसिद्धी का आधार नहीं बनाया जा सकता है। सभी साक्षीगण हितबद्ध साक्षी होकर एक ही परिवार के हैं जिस तथ्य को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अनदेखा कर आलोच्य निर्णय व दण्डाज्ञा

पारित करने में गंभीर भूल की है ।

6. उक्त प्रकरण की कायमी आहत नरेश व विष्णुस्वरूप के मेडीकल होने के करीब 40 दिन बाद की गयी, जिस तथ्य पर भी विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने विचार नहीं किया है । आरोपीगण ने प्र. डी.-17 के रूप में एम.आई.आर. लेखबद्ध करवाई है, जो कि उक्त एफ.आई.आर. से 8 दिन पहले की है, जिससे बचने के लिए फरियादी ने यह झूठा प्रकरण पंजीबद्ध कराया है । आहत विष्णु ट्रैक्टर पर चढ़ते समय गिर पड़ा था, और जमीन पर गिरने से उसके हाथ में चोट आयी थी । फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने साक्ष्य का सही विश्लेषण ना कर आलोच्य निर्णय पारित कर गंभीर त्रुटि की है ।

7. साक्षीगण के कथनों में आपस में महत्वपूर्ण विरोधाभास हैं । अभियोजन साक्षीगण के कथनों में परस्पर विरोधाभास होने अभियोजन कहानी को प्रमाणित नहीं करते हैं, अभियोजन कहानी शंकास्पद है और महत्वपूर्ण व सुसंगत विरोधाभास पर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया और विधि, कानून के सुस्थापित सिद्धांतों को अनदेखा करते हुए निर्णय पारित किया है, इसलिये अपील स्वीकार की जाकर आलोच्य निर्णय अपास्त की जावे और अपीलार्थी/आरोपी को दोषमुक्त किया जावे एवं उनका अर्थदण्ड वापिस दिलाया जावे ।

8. अब प्रकरण में इस न्यायालय के समक्ष अपील के निराकरण हेतु मुख्य रूप से निम्न बिन्दु विचारणीय है :-

- 1- “क्या, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी/आरोपी के विरुद्ध आरोपित अपराध प्रमाणित मानकर उसे इस अपराध में दोषसिद्ध कर दंडित करने में विधि या तथ्य की भूल की गई है ?”
- 2- क्या विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दी गई दण्डाज्ञा कठोर है ?

9. निगरानी प्रकरण क्रमांक-237/13 में श्री केशव सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद, जिला भिण्ड के न्यायालय के आपराधिक प्रकरण क्रमांक-627/2005 ई.फौ. पुलिस गौहद चौराहा बनाम रामगोपाल आदि में पारित आदेश दिनांक 27/09/2013 से व्यथित होकर याचिकाकर्ता ने यह पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की है, जिसके द्वारा प्रतिपुनरीक्षणगण/आरोपीगण को सुरेश एवं रामेश्वर को भा.द.वि. की धारा-504, 323, 325 के आरोपित अपराध से दोषमुक्त किया गया एवं आरोपीगण/प्रतिपुनरीक्षणकर्तागण गोपाल एवं महादेव को धारा-504 में दोषमुक्त कर 323/34 भा.द.वि. में छः-छः माह के सश्रम कारावास व 200-200/-रूपये अर्थदण्ड तथा धारा-325/34 भा.द.वि. में दो-दो वर्ष के सश्रम कारावास व 300-300/-रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है ।

10. पुनरीक्षणकर्ता के आवेदन का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि

दिनांक-23/8/2005 के साठे सात बजे वह अपने भाई नरेश कुमार के साथ आकर जुवानी रिपोर्ट की कि दोनों भाई तारीख करने मुरैना जा रहे थे, तब आरोपीगण लाठियां लेकर आये, जब उसने कहा कि ऐसा क्या हो गया तब महादेव ने उसे दासहिने हाथ की कलाई में लाठी मारी, तथा गोपाल ने बांये पैर की पिडली में लाठी मारी । जब उसका भाई नेश बचाने आया तो गोपाल ने उसके सिर में लाठी मारी जो बांये कान के ऊपर लगी, चोट होकर खून निकल आया । सभी आरोपीगण ने एक राय होकर जान से मारने की नीयत से मारपीट की, धर्मेन्द्र व प्रेमनारायण शर्मा ने आकर घटना देखी व बीच बचाव कराया ।

11. फरियादी ने उक्त रिपोर्ट थाना गोहद चौराहा पर अदम चैक क्रमांक-99/05 पर दर्ज करायी । जांच व मेडीकल व एक्सरा रिपोर्ट पर से अपराध क्र.-160/05 धारा-325, 323, 504, 34 भादवि. का पंजीबद्ध कर बाद विवेचना न्यायालय में चालान पेश किया । आरोपीगण पर आरोप लगाये गये । अभियोजन साक्ष्य में साक्षीगण विष्णुस्वरूप शर्मा, नरेश कुमार, डॉ आलोक शर्मा, प्रेमनारायण, धर्मेन्द्र एवं बिहारीलाल के कथन कराये गये । आरोपीगण द्वारा बचाव साक्ष्य में जबरसिंह शर्मा व रामेश्वर दयाल ने स्वयं का कथन कराया है । विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा 27/9/13 को निर्णय पारित कर सही विवेचना ना करते हुए आरोपीगण सुरेश व रामेश्वर को दोषमुक्त कर दिया एवं शेष आरोपीगण महादेव व गोपाल को मात्र 323, 325 सहपठित धारा-34 भा0द0वि0 में न्यूनतम सजा से दण्डित किया गया ।
12. पुनरीक्षणकर्ता/आवेदक ने पुनरीक्षण याचिका में मुख्यतः निम्न आधार लिये हैं कि-“विद्वान अधीनस्थ न्यायालय को धारा-323 भा.द.वि. दो आहतगण होने से दो काउन्ट में सजा देना चाहिये थी, जो नहीं दी है । अभियोजन साक्षीगण विष्णुस्वरूप शर्मा अ.सा.-1, नरेश अ.सा.-2 एवं धर्मेन्द्र अ.सा.-5 तीनों साक्षीगण का साक्ष्य अखण्डित रहा है और मेडीकल साक्ष्य से प्रमाणित है, जिससे चारों आरोपीगण/अनावेदकगण दोषी होते हैं, किन्तु रामगोपाल व महादेव को ही दोषी मानकर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने गंभीर भूल की है ।
13. आहत विष्णू को साधारण व गंभीर चोटें आयी हैं, जिसपर से आरोपीगण का सामान्य आशय था और सभी दोषी थे, लेकिन रामगोपाल व महादेव को अकेले दोषी मानकर व रामेश्वर व सुरेश को दोषमुक्त कर विधिक त्रुटि की है ।
14. विचारणीय यह है कि-
 1. “क्या, विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांकित 27/09/2013 अवैध, अनुचित या औचित्यहीन होकर अपास्त किए जाने योग्य है?”
 2. क्या, प्रतिपुनरीक्षणकर्ता रामेश्वरदयाल और सुरेश चन्द्र को विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने आलोच्य निर्णय मुताबिक गलत रूप से दोषमुक्त किया है ?

3. क्या, प्रतिपुनरीक्षणकर्तागण के विरुद्ध अपराध प्रमाणित होता है?
4. क्या, प्रतिपुनरीक्षणकर्ता रामगोपाल और महादेव को दिये गये अर्थदण्ड में अभिवृद्धि किए जाने की आवश्यकता है ।

—::— **निष्कर्ष के आधार** —::—

15. दाण्डिक अपील क्रमांक-317/2013 एवं आहत विष्णु स्वरूप की ओर से की गयी दाण्डिक पुनरीक्षण क्रमांक-237/2013 दोनों ही जे.एम.एफ.सी. गोहद श्री केशव सिंह के न्यायालय के आपराधिक प्रकरण क्रमांक-627/2006 निर्णय दिनांक-27/9/2013 से वियुत्पन्न होने से दोनों को समेकित करते हुए एक साथ सभी विचारणीय बिन्दुओं का निराकरण किया जा रहा है, ताकि विश्लेषण में और मूल्यांकन में पुनर्वावृत्ति ना हो तथा सुविधा बनी रहे ।
16. विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के मूल अभिलेख का अध्ययन किया गया । आलोच्य निर्णय का अवलोकन किया । उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों पर मनन किया गया ।
17. अभिलेख का परीशीलन किया गया अपराध की प्रकृति एवं परिस्थितियों पर भी मनन किया गया अधीनस्थ न्यायालय के मूल अभिलेख एवं आलोच्य निर्णय का अध्ययन किया गया । अधीनस्थ न्यायालय में जो अभियोजन के दस्तावेज पेश हुये हैं, उनमें साक्षी प्रेमनारायण का पुलिस कथन एवं नरेश की एम0एल0सी0 रिपोर्ट दोनों ही प्र0पी0-3 से अंकित हो गई है, इसी प्रकार आहत विष्णु स्वरूप की एम0एल0सी0 रिपोर्ट और एफ0आई0आर0 प्र0पी0-4 के रूप में अंकित है, इसलिये नरेश की एम0एल0सी0 रिपोर्ट को प्र0पी0-3 ए और विष्णु स्वरूप की एम0एल0सी0 रिपोर्ट को प्र0पी0-4 ए के रूप में अवलोकन में लिया जायेगा । अभियोजन कथानक में बताई गई मूल घटना मुताबिक आहत विष्णु स्वरूप और उसके भाई नरेश कुमार तारीख पेशी के लिये मुरैना जा रहे थे तब गोपाल उर्फ रामगोपाल तथा महादेव लाठी लेकर आये और बोले कि मारो सालों को तब विष्णु ने कहा कि ऐसा क्या हो गया है तो महादेव ने उसके दांये हाथ की कलाई में गोपाल ने बांये पैर की पिडली और दांये कान पर लॉरी में लाठियों से चोटें पहुंचाई । नरेश के बचाने पर भी उसे सिर में गोपाल ने लाठी मारी जो बांये कान के उपर लगी । कथानक मुताबिक सुरेश और रामेश्वरदयाल जिन्हें विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने दोषमुक्त किया है उनका मौके पर बंदूक के साथ आकर यह कहना बताया है कि ठीक किया और मारो जब तक मौके पर धर्मेन्द्र, प्रमोद पहुंच गये जिन्होंने घटना देखी सुनी ।
18. इस तरह से आहत विष्णु स्वरूप और उसके भाई नरेश कुमार के अलावा मौके के साक्षी धर्मेन्द्र कुमार और प्रमोद कुमार हैं । प्रमोद कुमार का ही दूसरा नाम प्रेमनारायण बताया गया है । प्रेमनारायण अ0सा0-4 के रूप

में रूप में और धर्मेन्द्र अ0सा0-5 के रूप में परीक्षित हुये हैं जिनमें से प्रेमनारायण अ0सा0-4 ने घटना का समर्थन नहीं किया है, और अभियोजन द्वारा उसे पक्षविरोधी घोषित किया गया उसने कोई झगडा देखने से इंकार करते हुये कहा है कि, उसके सामने कोई झगडा नहीं हुआ और उसने प्र0पी0-3 का पुलिस को कथन देने से भी इंकार किया है । अपीलार्थीगण की ओर से यह तर्क किया गया है कि प्रेमनारायण स्वतंत्र साक्षी था, जिसके द्वारा घटना का समर्थन नहीं किये जाने से अभियोजन का मामला संदिग्ध माना जाये जब कि अभियोजन पक्ष की ओर से यह तर्क किया गया है कि, अभिलेख पर अपराध प्रमाणित हेतु पर्याप्त व सुदृढ साक्ष्य है ।

19. प्रेमनारायण मौके का साक्षी अवश्य है किन्तु कथानक मुताबिक वह आहत को चोट लग जाने के बाद पहुंचा ऐसे में उसका पक्षविरोधी होकर समर्थन ना करने के आधार पर संपूर्ण मामला संदिग्ध नहीं माना जा सकता है। यह आवश्यक है कि शेष अभियोजन साक्षियों के अत्यन्त सावधानीपूर्वक विश्लेषण की आवश्यकता हो जाती है, और यह सुस्थापित विधि है कि किसी तथ्य को प्रमाणित करने के लिये साक्षियों की कोई विशिष्ट संख्या आपेक्षित नहीं है, जैसा कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 134 में स्पष्ट उपबंध है, इसलिये प्रेमनारायण के समर्थन ना करने के आधार पर अभियोजन के विरुद्ध कोई अन्यथा निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है ।

20. प्रकरण में बचाव पक्ष की ओर से जो बिन्दु उठाये गये हैं उसमें अभियोजन के अन्य साक्षियों की आपसी हितबद्धता एवं पूर्व की रंजिश का बिन्दु भी उठाया गया है, और उसके संबंध में लेखीय एवं मौखिक साक्ष्य भी अपीलार्थीगण की ओर से बचाव में पेश की गई है, और यह सुस्थापित विधि है कि बचाव साक्षियों को भी अभियोजन साक्ष्य की भांति मूल्यांकन में लिया जाना चाहिये, जैसाकि अपीलार्थीगण की ओर से तर्कों में भी व्यक्त किया गया है । रंजिश के बिन्दु पर बचाव में प्र0डी0-1 लगायत प्र0डी0-17 तक के दस्तावेज पेश किये हैं, जिनसे यह स्थापित होता है कि आहतगण व आरोपीगण के मध्य घटना के पूर्व से आपसी रंजिश चली आ रही है जो कि मंदिर और उसकी संपत्ति के व्यवस्थापन के लिये आपस में व्यवस्थापक नियुक्ति को लेकर प्रतिद्वंदता प्रकट होती है और उसके संबंध में स्वयं रामेश्वरदयाल ने ब0सा0-2 के रूप में साक्ष्य दी है, जिसका समर्थन बचाव साक्षी जवरसिंह ब0सा0-1 ने भी अपने अभिसाक्ष्य में किया है, जिससे रंजिश का बिन्दु स्थापित होते हैं, किन्तु रंजिश एक ऐसी दुधारी तलवार की तरह है जो दोनों तरफ से बार करती है । अर्थात् जहां एक ओर रंजिशन झूठा फंसाये जाने की संभावना रहती है वहीं दूसरी ओर यह भी संभव है कि रंजिश के कारण ही घटना को अंजाम दिया गया है, ऐसे में रंजिश के बिन्दु पर ही कोई निष्कर्ष प्राप्त नहीं किया जा सकता है, और प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों व साक्ष्य के आधार पर विशलेषित करना होगा कि अभियोजन द्वारा जो घटना बताई गई और अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो अपराध प्रमाणित माना गया क्या वह युक्ति-युक्त संदेह से परे प्रमाणित होकर पुष्टि योग्य है अथवा नहीं रंजिश के संबंध में

उक्त सिद्धान्त को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्याय दृष्टांत **रूली एवं अन्य वि० हरियाणा राज्य 2002 एस०सी० (किमनल) पेज 1837** अवलोकनीय है। इसलिये केवल रंजिश के आधार पर निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है और उपलब्ध सामग्री का सूक्ष्मता से विश्लेषण करना आवश्यक होगा।

21. जहां तक बचाव साक्ष्य का प्रश्न है दोनों बचाव साक्षियों ने विष्णु और नरेश पर आरोपीगण के द्वारा मारपीट करने से इंकार करते हुये उनका टैक्टर से गिर जाना और उससे चोटिल होने का बचाव लिया है। जबरसिंह ब०सा०-1 के संबंध में ब०सा०-2 ने पैरा-3 में यह स्वीकारोक्ति की है कि, जबरसिंह ने जो बताया है वही वह बता रहा है तथा उसके सामने फरियादीगण टैक्टर से नहीं गिरे उसे तो बताया गया था, और जबरसिंह के पैरा-2 मुताबिक यदि सुबह 8 बजे के पहले विष्णु और नरेश की मारपीट हुई हो तो उसे पता नहीं है। अभियोजन कथानक मुताबिक प्र०पी०-1 की अदम चैक रिपोर्ट तथा आहतगण के मेडीकल परीक्षण और एक्सरे परीक्षण उपरांत पंजीबद्ध प्र०पी०-4 की एफ०आई०आर० मुताबिक घटना सुबह 7-30 बजे की बताई गई है, ऐसे में मूल घटना के संबंध में दोनों बचाव साक्षी का उक्त आधार निर्वल हो जाता है कि विष्णु और नरेश को टैक्टर से गिर जाने से चोटें आई, तथा इस संबंध में उक्त लिये गये बचाव के आधार बावत दोनों आहतगण विष्णु अ०सा०-1 और नरेश कुमार अ०सा०-2 को कोई सुझाव नहीं दिया गया है।

22. हालांकि मेडीकल परीक्षण करने वाले चिकित्सक डॉ० आलोक शर्मा अ०सा०-3 ने अवश्य प्रतिपरीक्षण के पैरा-4 में दोनों आहतों को आई चोटें टैक्टर से गिरने पर आने की संभावना व्यक्त की है, लेकिन चिकित्सक की उक्त राय मात्र एक संभावना है उसको निश्चायक सबूत की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है। इसलिये अभिलेख पर आई साक्ष्य के आधार पर यह निष्कर्षित नहीं होता है कि, आहतगण को चोटें टैक्टर से गिरने पर किसी दुर्घटना के फलस्वरूप पहुंची होगी, ऐसे में बचाव का उक्त आधार बल नहीं रखता है इसलिये बचाव साक्षियों के कथनों के आधार पर अभियोजन का मामला खण्डित या संदिग्ध नहीं माना जा सकता है। ऐसी स्थिति में बचाव साक्ष्य पर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विश्वास ना कर कोई विधिक त्रुटि नहीं की है।

23. प्र०डी०-17 के रूप में जो थाना गोहद चौराहा के अपराध क्रमांक 129/05 की एफ०आई०आर० की प्रति पेश की है जिससे यह दर्शित होता है कि, 15-8-05 को दोपहर करीब 1 बजे घटना की रिपोर्ट रामेश्वरदयाल द्वारा हस्तगत मामले में आहत विष्णु, नरेश एवं एक अन्य श्रीधर के विरुद्ध मारपीट संबंधी की गई थी, किन्तु उसका निराकरण संबंधित मामले में ही किया जा सकता है, उसके आधार पर भी हस्तगत मामले की घटना को सिर से खारिज नहीं किया जा सकता है।

24. अभियोजन की और से परीक्षित कराये गये साक्षियों में डॉक्टर आलोक शर्मा अ0सा0-3 ने अपने अभिसाक्ष्य में दिनांक 23/8/05 को ही सी0एच0सी0 गोहद में मेडीकल ऑफीसर के पद पर पदस्थ रहते हुये पुलिस द्वारा लाये जाने पर आहत नरेश की चोटों का परीक्षण करते हुये उसके सिर में बाईं तरफ एक फटा हुये घाव की चोट 2 गुणित 3 गुणित 2 से0मी0 की पाना बताते हुये उसे साधारण प्रकृति का बताया है, और किसी सख्त भौथरी वस्तु से परीक्षण से 12 घंटे के भीतर का बताते हुये प्र0पी0-3 ए की मेडीकल रिपोर्ट तैयार करना कहा है, तथा विष्णु स्वरूप की चोटों का परीक्षण करते हुये उसकी दाईं अग्रभुजा के निचले एकतिहाई हिस्से पर लालिमा लिये हुये नीलगू की चोट पाना बताया है, जिसे भी सख्त भौथरी वस्तु से 12 घंटे के भीतर की चोट बताई है, और उसके एक्सरे परीक्षण की सलाह देना तथा उसी दिन विष्णु का एक्सरे परीक्षण किये जाने पर उक्त चोट में रेडियस नामक हड्डी का एक तिहाई हिस्से में अस्थिभंजन पाते हुये प्र0पी0-5 की एक्सरे रिपोर्ट तैयार करना कहा है ।

25. आहत विष्णु स्वरूप की अन्य चोटों दाहिने कान पर 3 गुणित 2 से0मी0 की रगड का निशान और बांये पैर की पिडली में 4 गुणित 2 से0मी0 का लालिमा लिये हुये नीलगू निशान पाना बताया है । चोट क्र0-2 व 3 साधारण प्रकृति की बताई है जिसकी एम0एल0सी0 रिपोर्ट प्र0पी0-4ए है । कथानक में लाठियों से उक्त चोटें महादेव और रामगोपाल के द्वारा पहुंचाया जाना बताया गया है । लाठी की सख्त भौथरी वस्तु की श्रेणी में आती है, तथा आहतगण का चिकित्सीय परीक्षण घटना दिनांक को ही सुबह 10-15 बजे और 10-25 बजे प्र0पी0-3ए और प्र0पी0-4ए मुताबिक किया जाना स्पष्ट है, ऐसे में चोटों में बताई गई समयावधि जिसके बारे में कोई विरोध नहीं किया गया है उससे चोट घटना के समय की होना परीक्षित होती है, ऐसे में दोनों आहतगण की चोटों का चिकित्सीय साक्ष्य से समर्थन होता है, और प्रकरण में अपीलार्थीगण की और सह यह आपत्ति ली गई है कि अभियोजन द्वारा साक्ष्य में एक्सरे प्लेट को पेश नहीं किया गया है तथा एक्सरे निकालने वाले टेक्निशियन का कथन नहीं कराया गया है, इसलिये वह प्रमाणित नहीं हो सकती है, और इसके संबंध में अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्याय दृष्टांत रामनिहोरे वि0 रामसंजीवन 1985 एम0पी0 विकली नोट शार्टनोट 104 पेश किया गया है, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा धारा 323 एवं 325 भा0द0सं0 के मामलों में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि, एक्सरे लेने वाले व्यक्ति का कथन न कराये जाने पर एक्सरे रिपोर्ट के तथ्य प्रमाणित नहीं होते हैं, और अस्थिभंजन प्रमाणित नहीं होगा ।

26. न्याय दृष्टांत के मामलों में धारा 323 भा0द0सं0 के मामलों में दोषसिद्धि मानी गई थी । हस्तगत मामलों में एक्सरे प्लेट प्र0पी0-5 की एक्सरे रिपोर्ट के साथ ही संलग्न है, और प्र0पी0-5 में स्पष्ट रूप से अस्थिभंजन की

चिकित्सक साक्ष्य दी गई है, जिसे डॉक्टर आलोक शर्मा अ0सा0-3 ने प्रमाणित भी किया है, तथा उक्त चिकित्सक के अभिसाक्ष्य में संपूर्ण बचाव पक्ष की ओर से एक्सरे निकालने वाले व्यक्ति के संबंध में कोई आपत्ति भी नहीं की गई तथा अभिलेख पर संलग्न एक्सरे प्लेट को न्यायिक नोटिस में भी लिया जा सकता है, तथा विधिक स्थिति मुताबिक यदि एक्सरे प्लेट के अभाव में कोई अन्यथा निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है तो उसकी साक्ष्य को प्रदर्शित नहीं कराये जाने के आधार पर मामला संदिग्ध नहीं माना जा सकता, और डॉक्टर आलोक शर्मा को इस तरह का भी कोई सुझाव नहीं दिये गये है कि, प्र0पी0-5 की एक्सरे रिपोर्ट किस आधार पर तैयार की गई अन्यथा चिकित्सक उसका स्पष्टीकरण दे ऐसे में केवल अपील स्तर पर यह बिन्दु उठाया जाना विधिक महत्व नहीं रखता है, तथा गुणदोष को प्रभावित नहीं करता है ।

27. प्रस्तुत न्याय दृष्टांत म0प्र0 राज्य वि0 अमरसिंह 1990 भाग-2 एम0पी0 विकली नोट शार्टनोट 90 में भी इसी प्रकार का मार्गदर्शन दिया गया है कि, चोट की प्रकृति गंभीर होने का निष्कर्ष वगैर एक्सरे प्लेट के नहीं निकाला जा सकता । न्याय दृष्टांत के मामलों में चिकित्सीय साक्ष्य द्वारा घोर क्षति होना अभिपुष्ट नहीं हुआ था जब कि इस मामलों में प्र0पी0-5 से विष्णु स्वरूप की चोट क्र0-1 घोर उपहति की श्रेणी में होना अभिपुष्ट हो रही है । एक अन्य प्रस्तुत न्याय दृष्टांत मोरसिंह वि0 स्टेट ऑफ एम0पी0 2006 भाग-2 एम0पी0 विकली नोट शार्टनोट 5 में धारा 45 साक्ष्य विधान के संदर्भ में यह अभिमत दिया गया है कि यदि चिकित्सक द्वारा ऐसी राय दी जाती है कि गिरने से क्षति हो सकती है तो उसे अनदेखा नहीं करना चाहिये । न्याय दृष्टांत का मामला हत्या के प्रकरण से संबंधित था, इसलिये तथ्यों की भिन्नता के कारण उसे इस प्रकरण में लागू नहीं किया जा सकता है ।

28. ऐसी स्थिति में चिकित्सक साक्ष्य के संबंध में जो आपत्ति बचाव पक्ष द्वारा उठाई गई है उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है और एक्सरे प्लेट पर प्रदर्श अंकित ना होने मात्र से कोई अन्यथा निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता क्योंकि वह गुणदोष को प्रभावित नहीं करता है तथा अभिलेख पर ऐसी कोई सामग्री नहीं है जिससे आहतगण विष्णु स्वरूप और नरेश कुमार को बताई गई घटना के समय टैक्टर से गिरने पर चोटिल होना प्रकट होता हो इसलिये भी उसका कोई विधिक महत्व नहीं है ।

29. अब मामलों में यह देखना है कि क्या चिकित्सीय साक्ष्य से जो चोटें प्रमाणित हुई हैं वे प्रत्यक्ष साक्ष्य से प्रमाणित होती है अथवा नहीं क्योंकि नरेश की चोट एवं विष्णु स्वरूप की चोट क्र0-2 व 3 धारा 323 भा0द0सं0 की परिधि में आती है, और विष्णु स्वरूप की चोट क्र0-1 धारा 325 भा0द0सं0 की परिधि में आती है । विष्णु स्वरूप अ0सा0-1 ने अपने अभिसाक्ष्य में यह बताया है कि वह और उसका भाई घटना दिनांक को मुरैना तारीख पेशी के लिये सुबह करीब 7 बजे जा रहे थे तभी सुरेश, रामेश्वर, गोपाल, महादेव चारों

लोगों ने आकर उन्हें पकड़ लिया और जान से मारने की बात कही तथा सुरेश ने उसका दाया हाथ पकड़ा महादेव ने दांये हाथ की कलाई में लाठी मारी जिससे उसके दाहिने हाथ में फैंक्चर हो गया था उसके बाद गोपाल ने बांये पैर में लाठी मारी थी जो पिडली में लगी थी, और तीसरी लाठी महादेव ने मारी थी जो दांये कान में लगी थी । गोपाल ने उसके भाई नरेश को सिर में लाठी मारी थी रामेश्वर और सुरेश बंदूक लिये खड़े हुये थे और बोले जान से मार डालो इतने में वहां से धर्मेन्द्र और प्रेमनारायण ने आकर बीच बचाव किया था, इसी आशय की साक्ष्य दूसरे आहत नरेश कुमार अ0सा0-2 ने भी अपने अभिसाक्ष्य में दी है ।

30. प्रतिपरीक्षा में रंजिश के बिन्दु के संबंध में तथ्य आये हैं, जिसका कि उल्लेख किया जा चुका है, इसलिये पुनरावृत्ति की आवश्यकता नहीं है । दोनों साक्षियों ने यह बात को स्वीकार किया है कि शिवजी के मंदिर के पुजारी बनाने को लेकर उनके बीच मुकदमेंबाजी चली है तथा धर्मेन्द्र उनकी बुआ का लडका है, इस बात से इंकार किया है कि जो रिपोर्ट दिनांक 15-8-05 को आरोपीगण की और से की गई थी उसके उपर से झूठी कार्यवाही की गई ।

31. उक्त दोनों साक्षियों के मुताबिक धर्मेन्द्र अ0सा0-5 आहतगण के रिश्ते का साक्षी होकर हितबद्धता अवश्य रखता है, किन्तु केवल किसी भी साक्षी का रिश्ते का साक्षी होने के आधार पर ना तो अविश्वास किया जा सकता है और ना ही उसकी अभिसाक्ष्य को अग्राह्य किया जा सकता है, जैसा कि न्याय दृष्टांत ए0आई0आर0 2002 (एस0सी0) पेज 16121 भगवानसिंह वि0 स्टेट में प्रतिपादित किया है, ऐसे में धर्मेन्द्र का रिश्ते के साक्षी होने के आधार पर ही अविश्वास नहीं किया जा सकता है, क्योंकि रिश्ता तो उसने भी स्वीकार किया है, और उसने अ0सा0-1 व अ0सा0-2 की अभिसाक्ष्य का समर्थन करते हुये अपनी मौके पर उपस्थिति के संबंध में भी स्पष्टीकरण देते हुये पैरा-3 में यह बताया है कि जब झगडा हुआ उस समय वह दूधवाले के घर पर था जहां से घटना स्थल करीब 50 फुट दूर होगा, और झगडे के बाद वह जब पकड़ो पकड़ो की आवाज आई थी तब पहुंचा था । प्रेमनारायण भी उस समय वहां आ गया था, अर्थात उक्त साक्षी आहतगण के चोटिल होने के बाद मौके पर पहुंचा जैसा कि अभियोजन के कथानक में भी बताया गया है यदि उक्त साक्षी के द्वारा रिश्ते के नाते हितबद्धता के चलते समर्थन करना होता तो वह अपनी स्थिति घटना को गंभीरता देने के लिये प्रारंभ से भी बता सकता था । ऐसे में धर्मेन्द्र अ0सा0-5 स्वभाविक स्वरूप का साक्षी है, और उसके अभिसाक्ष्य में कोई तात्विक स्वरूप की विसंगतियां नहीं है जो उसके अभिसाक्ष्य को प्रभावित करती हो इसलिये साक्षी धर्मवीर के संबंध में जो बचाव पक्ष की और से हितबद्धता की आपत्ति ली गई है उस पर से कोई अन्यथा निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है, और तर्क स्वीकार योग्य नहीं है । दोनों आहतगण की साक्ष्य के आधार पर युक्ति-युक्त संदेह से परे रामगोपाल और महादेव का घटना कारित करने में

सक्रिय रूप से भूमिका निभाई जाना और लाठियों से चोट पहुंचाया जाना प्रमाणित होता है ।

32. जहां तक अभियोजन पक्ष का यह तर्क है कि रामेश्वर दयाल और सुरेश शर्मा दोनों भी उक्त दोनों आरोपी रामगोपाल और महादेव के साथ होकर सामान्य आशय के अग्रशरण में घटना कारित करने में शामिल था जिन्हें विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने दोषमुक्त किया है । रामेश्वरदयाल और सुरेश शर्मा के द्वारा आहतगण को कोई चोट नहीं पहुंचाई गई है । कथानक मुताबिक भी उनकी उपस्थिति चोटिल होने के वाद की है । अ0सा0-1 और अ0सा0-2 एवं अ0सा0-5 रामेश्वरदयाल और सुरेश का बंदूक के साथ साथ होना और मारने के लिये उकसाना बताया गया है, जिसे विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने स्वीकार नहीं किया यदि रामेश्वरदयाल और सुरेश शर्मा घटना में शामिल होते और आग्नेयशस्त्र बंदूकों से सुसज्जित होकर मौके पर होते तो वे भी निश्चित रूप से सक्रिय रूप से घटना कारित करने में सहयोग करते ।

33. कथानक में केवल यह बताया गया है कि जब चोटिल होने के वाद जब वह दोनों बंदूकें लेकर आये तो उन्होंने मात्र इतना कहा कि **ठीक किया और मारा** लेकिन उने कहने के वाद कोई घटना आगे घटित ही नहीं हुई है ऐसे में रामेश्वरदयाल और सुरेश शर्मा की घटना कारित करने में कोई भूमिका होना परीलक्षित नहीं होती है इसलिये अभियोजन पक्ष का उनके संबंध में तर्क विधिक महत्व नहीं रखता है तथा यदि मौके पर किसी भी व्यक्ति का सामान्य रूप से उपस्थित हो जाना प्रकट भी है तब भी उससे अपराध में शामिल होना प्रमाणित नहीं माना जा सकता है, बल्कि उभय पक्ष के मध्य जो मंदिर के व्यवस्थापक और पुजारी की आपसी प्रतिद्वंदता को लेकर जो रंजिश है उसके चलते रामेश्वरदयाल और सुरेश शर्मा को संलिप्त किये जाने की प्रबलता दिखाई पड़ती है ।

34. ऐसे में उनके विरुद्ध मामला नहीं बनता है, किन्तु भारतवर्ष में दांडिक विधि में यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि एक बात में मिथ्या तो सब बातों में मिथ्या का सिद्धान्त भारतवर्ष में लागू नहीं है जैसा कि **न्याय दृष्टांत रन्जीतसिंह एवं अन्य वि० म०प्र० राज्य ए०आई०आर० 2011 एस०सी० 235** में प्रतिपादित किया गया है, इसलिये रामेश्वरदयाल और सुरेश शर्मा के विरुद्ध मामला संदिग्ध पाये जाने के आधार पर रामगोपाल और महादेव के विरुद्ध भी मामला संदिग्ध होना नहीं माना जा सकता है जैसा कि अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा तर्क में बताया गया है इसलिये उनका तर्क स्वीकार नहीं किया जा सकता है ।

35. रामगोपाल और महादेव के संबंध में अ0सा0-1 अ0सा0-2 एवं अ0सा0-5 की साक्ष्य विश्वसनीय है, जिसका चिकित्सीय साक्ष्य से भी समर्थन है और अपीलार्थीगण के विरुद्ध उनकी साक्ष्य स्वीकार योग्य है इसलिये विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रामगोपाल और महादेव के विरुद्ध मामला प्रमाणित

माने जाने हेतु जो निष्कर्ष आलोच्य निर्णय मुताबिक निकाले गये हैं वे पुष्टि योग्य हैं ।

36. अपीलार्थीगण की ओर से लिखित व मौखिक तर्कों में इस तथ्य पर भी अतयधिक आपत्ति ली गई है कि घटना स्थल का उदगम ही स्पष्ट नहीं है कि कहां घटना घटी क्योंकि कथानक मुताबिक और आहतगण के मुताबिक वे अपने गांव से मुरैना पेशी को जा रहे थे तब घटना हो गई, लेकिन उन्होंने घटना स्थल स्पष्ट नहीं बताया है , जिसके संबंध में ऊपर वर्णित **मोरसिंह वि० म० प्र० राज्य** का न्याय दृष्टांत पेश किया था जिसमें नक्शामौका के संबंध में न्याय दृष्टांत की कंडिका-7 में यह मार्गदर्शित किया गया है कि साक्षी के मार्गदर्शन में स्थल मानचित्र की तैयारी को उसके कथन से खण्डित कराई जा सकती है । हस्तगत मामलें में प्र०पी०-2 का मानचित्र विष्णु स्वरूप अ०सा०-1 की निशादेही पर बनाया गया है, जिसका उसने अपने अभिसाक्ष्य में समर्थन किया है और नक्शामौका के संबंध में प्रतिपरीक्षा में कोई अन्यथा तथ्य नहीं आये हैं ।

37. नक्शामौका में घटनास्थल ग्राम विरखडी के रास्ता जो ग्वालियर भिण्ड रोड से मिला हुआ है उस रास्ते पर विरखडी गांव के शासकीय हाईस्कूल के सामने की तरफ सुरेश शर्मा के मकान के पास घटना स्थल दर्शाया गया है, तथा प्र०पी०-4 की एफ०आइ०आर० में भी घटनाक्रम विरखडी की ही बताई गई है, ऐसे में यह नहीं माना जा सकता है कि घटनास्थल अस्पष्ट है, और घटना स्थल का उदगम होना प्रमाणित नहीं है । इसलिये इस संबंध में उक्त न्याय दृष्टांत आरोपी/अपीलार्थीगण को कोई लाभ नहीं पहुंचता है ना ही अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत तर्क विधिक महत्व रखते हैं ।

38. अपीलार्थीगण की ओर से इस संबंध में प्रस्तुत **न्याय दृष्टांत गंभीरसिंह वि० स्टेट ऑफ़ एम०पी० 1997 भाग-1 एम०पी० विकली नोट शार्टनोट 170** पेश किया गया है जसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह प्रतिपादित किया गया कि घटना का उदगम अस्पष्ट है और यह स्थापित है कि गिरने के कारण क्षतियां पहुंचे तो मामला सिद्ध नहीं होगा यह भी इस मामले में लागू नहीं होता है, क्योंकि नक्शामौका विष्णु की निशादेही पर बना जिसने समर्थन किया और आहतगण की चोटें टैक्टर से गिरने पर आना प्रमाणित नहीं माना गया ।

39. विवेचना के संबंध में अभिलेख पर बिहारी लाल अ०सा०-6 के रूप में परीक्षित कराया गया है, जो कि घटना दिनांक 23-8-05 को थाना गोहद चौराहे पर पदस्थ था जिसके द्वारा प्र०पी०-1 की अदम चेक रिपोर्ट लिखी गई थी और आहतगण को उसके द्वारा प्र०पी०-3ए और प्र०पी०-4ए के मुल्हाजा फार्म भारकर मेडीकल परीक्षण के लिये भेजे गये थे, जिसके संबंध में उसने कथन किया है । पैरा-3 में यह भी स्पष्ट किया है कि उसे घटना का संपूर्ण विवरण विष्णु स्वरूप ने बताया था । शेष विवेचना अन्य पदस्थ रहे प्रधान

आरक्षक ब्रजभूषण पचौरी के द्वारा करना बताई गई है, जिसके संबंध में अभिलेख पर यह स्वीकृत स्थिति आई है कि ब्रजभूषण पचौरी की मृत्यु हो चुकी है, जिसके द्वारा साक्षियों के कथन लिये गये थे ।

40. अपीलार्थीगण की ओर से प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी का कथन नहीं कराये जाने पर आपत्ति लेते हुये इस संबंध में न्याय दृष्टांत लखनलाल वि० म० प्र० राज्य 1992 भाग-2 एम० पी० विकली नोट शार्ट नोट 191 पेश किया है । जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह प्रतिपादित किया गया है कि अनुसंधान अधिकारी का परीक्षण ना कराये जाने पर और एफ०आई०आर० पेश ना होने पर दोषसिद्धि कायम नहीं रखी जा सकती है जो मार्गदर्शक सम्माननीय और यह न्यायालय भी सम्मान करता है किन्तु हस्तगत मामलें में उक्त न्याय दृष्टांत को इसलिये लागू नहीं किया जा सकता है क्योंकि, ब्रजभूषण पचौरी विचारण के दौरान फौत हो चुका था तथा अदम चेक लेखक बिहारीलाल के कथन के समय ब्रजभूषण पचौरी की कार्यवाही के बावत कोई विरोध बचाव पक्ष की ओर से प्रकट नहीं किया गया है, और जैसा कि उपर विशलेषित किया जा चुका है कि किसी तथ्य विशेष को प्रमाणित करने के लिये साक्षियों की कोई विशिष्ट संख्या अपेक्षित नहीं है, तथा विवेचक के कथन की आवश्यकता तात्विक विरोधाभासी और विसंगतियों के स्पष्टीकरण के लिये होती है, जब कि हस्तगत मामलें में ऐसी तात्विक विसंगतिया या विरोधाभास उत्पन्न नहीं हुआ है जो कि मूल घटना को प्रभावित करते हैं, जिसके स्पष्टीकरण के लिये विवेचक आवश्यक हो, और सुस्थापित विधि मुताबिक यदि गुणदोष पर कोई अन्यथा प्रभाव नहीं पड़ता है तो विवेचक के अभाव में घटना संदिग्ध नहीं हो सकती है, इसलिये विवेचक के संबंध में की गई आपत्ति भी बेवुनियाद होकर स्वीकार योग्य नहीं है ।

41. अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने अपने लिखित व मौखिक तर्कों में अधिकांशतः जो बिन्दु उठाये हैं वह तकनीकी है, और यह सुस्थापित विधि है कि प्रत्येक मामलों का निराकरण गुणदोष पर किया जाना चाहिये तकनीकी आधार पर नहीं होना चाहिये इसलिये तकनीकी आधारों के तहत अभियोजन का मामला की गई दोषसिद्धि के बिन्दु पर संदिग्ध नहीं माना जा सकता है ।

42. बचाव पक्ष की ओर से यह तर्क भी किया गया है कि जहां दोनों संभावनायें प्रकट हो एक दोषमुक्ति की और जाती है और दूसरी दोषसिद्धि की और तो ऐसे में दोषमुक्ति वाली संभावना को ग्राह्य किया जाना चाहिये उक्त दाण्डिक विधि का सिद्धान्त सर्वमान्य है, किन्तु हस्तगत मामलें में अभिलेख पर अभियोजन की प्रत्यक्ष मौखिक साक्ष्य एवं चिकित्सीय साक्ष्य के आधार पर विष्णु की चोट क्र०-1 महादेव द्वारा शेष चोटें रामगोपाल द्वारा लाठी से एवं नरेश को भी रामगोपाल द्वारा लाठी से चोट पहुंचाई गई है विष्णु की चोट क्र०-1 325 शेष चोटें 323 भा०द०सं० की परिधि की प्रमाणित हुई है, इसलिये मामला दोनों संभावनाओं के स्वरूप का नहीं है, बल्कि आरोपीगण/अपीलार्थीगण

महादेव और रामगोपाल के विरुद्ध युक्ति-युक्त संदेह से परे प्रमाणित होता है, इसलिये विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उन्हें धारा 325/34, 323/34 भा0द0सं0 में दोषसिद्धि ठहराये जाने में कोई तथ्यात्मक या विधि संबंधी भूल या त्रुटि नहीं की है, और उक्त दोनों अपीलार्थीगण का घटना में सक्रिय रूप से भाग लिया जाना उनके सामान्य आशय को भी प्रदर्शित करता है ।

43. दाण्डिक पुनरीक्षण याचिका 237/13 में जो आधार लिये गये हैं, उनमें मूलतः आहत विष्णू स्वरूप की ओर से यह प्रकट किया गया है कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा साक्ष्य का उचित मूल्यांकन नहीं किया और रामेश्वरदयाल व सुरेश शर्मा को दोषमुक्त करने में विधिक भूल की है, जबकि वे भी रामगोपाल और महादेव के साथ घटना में शामिल थे और बंदूकों से सुसज्जित थे तथा उनके द्वारा मारपीट को उकसाया गया है और धमकी भी दी गयी थी । इसी अनुरूप लिखित व मौखिक तर्क भी पेश किए गये हैं ।

44. प्रत्यर्थीगण की ओर से भी लिखित व मौखिक तर्क पेश करते हुए रामेश्वरदयाल और सुरेश शर्मा की दोषमुक्ति को यथावत रखे जाने का निवेदन किया है कि आपसी रंजिश के चलते उन्हें फंसाने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है और उनकी कोई सलिप्तता प्रकरण में नहीं है । प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा न्याय दृष्टांत नवलेश पाटक विरुद्ध दुष्यंत शर्मा 2006भाग-1 एम.पी. वीकली नोट शॉर्ट नोट-71 पेश किया है, जसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह मार्गदर्शन दिया गया है कि दोषमुक्ति के आदेश के विरुद्ध पुनरीक्षणयाचिका में व्याप्ति बहुत सीमित है । ऐसा ही मार्गदर्शन आकांक्षा श्रीवास्तव विरुद्ध वीरेन्द्र श्रीवास्तव 2012 भाग-2 एम.पी.वीकली नोट शॉर्ट नोट-122 की कंडिका-5 मुताबिक माननीय उच्च न्यायालय द्वारा देते हुए यह कहा गया है कि पुनरीक्षण की अधिकारिता का प्रयोग करने का विवेकाधिकार धारा-394 द.प्र.सं. की संभावनाओं के अंतर्गत ही है, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्याय दृष्टांत राजेन्द्र कुमार विरुद्ध सीताराम पाण्डेय एवं अन्य 1999 वॉल्यूम 03 एस.सी.सी. पेज-134 पर आधारित है, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा धारा-397 (2) द.प्र.सं. के उपबंध की व्याख्या की है, दोनों ही न्याय दृष्टांतों में प्रतिपादित सिद्धांत सम्माननीय और सर्वमान्य हैं और यह सुस्थापित है कि दाण्डिक पुनरीक्षण में पुनरीक्षण न्यायालय का विवेकाधिकार अत्यंत सीमित श्रेणी का है और यह देखना होता है कि दोषमुक्ति के आदेश में कोई अवैधता, औचित्यहीनता या अनियमितता है या नहीं । जैसा कि प्रस्तुत किए गये न्याय दृष्टांत विनोद एवं अन्य विरुद्ध त्रिलोकीनाथ एवं अन्य 2008 भाग-1 एम.पी. वीकली नोट शॉर्ट नोट-52 में प्रतिपादित किया गया है ।

45. इस प्रकार रामेश्वरदयाल और सुरेशचन्द्र की दोषमुक्ति जो विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की गयी है, वह अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य तथ्य व परिस्थितियों को देखते हुए पुष्टि योग्य है । क्योंकि ऊपर के विश्लेषण मुताबिक रामेश्वरदयाल और सुरेश चन्द्र का कोई ओवरएक्ट नहीं पाया गया है, पुष्टि योग्य है । जहां तक पुनरीक्षण याचिका में दूसरा बिन्दु कम सजा दिये जाने का है, उसे आगे दण्डाज्ञा के बिन्दु के साथ विश्लेषित किया जावेगा ।
46. ऐसी स्थिति में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त धाराओं के तहत आरोपीगण/अपीलार्थीगण की कि गई दोषसिद्धि पुष्टि योग्य है और दोषसिद्धि के बिन्दु पर प्रस्तुत दाण्डिक अपील सारहीन पाते हुये निरस्त की जाती है ।
47. जहां तक दण्डाज्ञा का प्रश्न है अपीलार्थीगण की और से दण्डाज्ञा अधिक कठोर बताई गई है, जिसे अपास्त करने का निवेदन किया गया है । अभियोजन पक्ष की और से और अधिक कठोर दण्डाज्ञा का तर्क किया गया है। दण्डाज्ञा के बिन्दु पर अपराध की प्रकृति परिस्थितियों चोटों एवं अभिलेख पर चिन्तन, मनन किया गया अभिलेख पर आरोपी/अपीलार्थी महादेव और रामगोपाल के विरुद्ध पूर्व की दोषसिद्धि का कोई प्रमाण नहीं है, जिससे उनके प्रथम अपराधी होने का तथ्य स्थापित होता है, किन्तु प्रमाणित अपराध को देखते हुये इस आधार पर अपराधी परीवीक्षा अधिनियम के तहत लाभ दिया जाना इसलिये उचित व न्याय संगत नहीं होगा क्योंकि पक्षकारों के मध्य वर्तमान में भी रंजिश विद्यमान है, और उनके मध्य शांतिपूर्ण समय की संभावना क्षीण है, किन्तु पूर्वतन आपराधिक रिकार्ड ना होने और रामगोपाल के प्रोढ अवस्था महादेव के युवक व गृहस्थ होने को देखते हुये विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिया गया कारावास का दण्डादेश अधिक कठोर श्रेणी का परीलक्षित होता है, क्योंकि विष्णु स्वरूप के किसी मार्मिक अंग पर चोट नहीं है और नरेश की चोट अत्यन्त साधारण प्रकृति की है ।
48. जहां तक अपीलार्थीगण रामगोपाल और महादेव को विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिये गये कारावास की दण्डाज्ञा एवं अर्थदण्ड को बढ़ाये जाने की जो पुनरीक्षण याचिका में प्रार्थना की गयी है, वह प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों, घटनाक्रम, चोटों की प्रकृति को देखते हुए स्वीकार योग्य नहीं है, जहां तक क्षतिपूर्ति का प्रश्न है, विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो अर्थदण्ड अधिरोपित किया है, उसमें से आहतगण को कोई क्षतिपूर्ति नहीं दिलायी गयी है और इस न्यायालय द्वारा दण्डाज्ञा के बिन्दु पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिये गये अर्थदण्ड में अभिवृद्धि की गयी है और कारावास की सजा को घटाया गया है ।
49. ऐसी स्थिति में आहत विष्णूस्वरूप और नरेशकुमार को आई चोटों को देखते हुए क्षतिपूर्ति दिलाया जाना उचित होगा । अतः धारा-357 द.प्र.सं. के उपबंध का अनुसरण करते हुए

अपीलार्थीगण/आरोपीगण द्वारा जमा किए जाने वाले अर्थदण्ड में से विष्णू स्वरूप को दो हजार रुपये और नरेश को पांच सौ रुपये बतौर क्षतिपूर्ति प्रदान किए जावें । अतः क्षतिपूर्ति के बिन्दु पर पुनरीक्षण याचिका आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है, शेष बिन्दु पर निरस्त की जाती है ।

50. उपरोक्त ऐसी स्थिति में अपराध की प्रकृति और अपीलार्थीगण के उम्र व आचरण विद्यमान परिस्थितियों आदि पर विचार करने के उपरांत धारा 325/34 भा0द0सं0 के अपराध के लिये 1-1 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1000-1000 हजार रुपये अर्थदण्ड उचित होगा तथा धारा 323/34 भा0द0सं0 में 3-3 माह का सश्रम कारावास और 500-500 रुपये अर्थदण्ड उचित दण्डादेश होगा ।
51. फलतः दण्डाज्ञा के बिन्दु पर प्रस्तुत दाण्डिक अपील आंशिक रूप से स्वीकार करते हुये विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित दण्डाज्ञा को अपास्त कर उसके स्थान पर दोनों अपीलार्थीगण/आरोपीगण महादेव व रामगोपाल को धारा 325/34 भा0द0सं0 में 1-1 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1000-1000 हजार रुपये के अर्थदण्ड से तथा धारा 323/34 भा0द0सं0 के अपराध के लिये 3-3 माह के सश्रम कारावास एवं 500-500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है । अर्थदण्ड अदा ना करने पर व्यतिक्रम की दशा में क्रमशः 1-1 माह और 15-15 दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगताया जावे । अधिरोपित अर्थदण्ड को विद्वान अधीनस्थ न्यायालय में जमा अर्थदण्ड समायोजित किया जावे ।
52. अपील में प्रस्तुत अपीलार्थीगण के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं ।
53. आरोपीगण/अपीलार्थीगण को कारावास की दोनों सजाये एक साथ भुगताई जावे, जिसके लिये सुपर शेषन वारंट तैयार किया जाकर आरोपीगण/अपीलार्थीगण को सजा भुगताये जाने हेतु जेल भेजा जावे ।
54. विचारण के दौरान आरोपीगण/अपीलार्थीगण न्यायिक निरोध में नहीं रहे हैं ।
55. आरोपीगण/अपीलार्थीगण को निर्णय की एक प्रति निशुल्क प्रदान की जाये ।
56. प्रकरण में कोई जप्तशुदा संपत्ति पेश नहीं है ।

दिनांक: 29, अक्टूबर 2014

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर मेरे बोलने पर टंकित किया गया ।
खुले न्यायालय में घोषित किया गया ।

(पी.सी. आर्य)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,
गोहद जिला भिण्ड

(पी.सी. आर्य)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,
गोहद जिला भिण्ड